भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3868
(दिनांक 18.12.2024 को उत्तर देने के लिए)

सोशल मीडिया पर अश्लीलता

3868. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक अश्लील, भारत-विरोधी और भारतीय पारिवारिक मूल्य विरोधी विषय-वस्तु की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसी विषय-वस्तु को देखने और प्रसारित होने से रोकने की कोई व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") अधिसूचित किए हैं।

मध्यवर्ती प्लेटफॉर्मों पर उपयोगकर्ता द्वारा सृजित सामग्री के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा प्रशासित आईटी नियम, 2021 का भाग-II सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर स्वयं उचित प्रयास करने और उनके कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी को होस्ट, स्टोर, संचारित, प्रदर्शित या प्रसारित नहीं करने का विशिष्ट दायित्व डालता है जिसमें अन्य बातों के साथ ऐसी जानकारी जो अश्लील,

पोर्नोग्राफिक, किसी अन्य की निजता का उल्लंघन, जेंडर के आधार पर अपमानजनक या उत्पीड़न, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, या हिंसा भड़काने के इरादे से धर्म या जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देती हो, या जो बच्चों के लिए हानिकारक या मनी लॉन्ड्रिंग या जुए को बढ़ावा देने, या गलत सूचना, स्पष्ट रूप से गलत जानकारी, असत्य या भ्रामक प्रकृति की, या जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती हो, या जो वर्तमान में लागू किसी कानून का उल्लंघन करती हो।

इसी प्रकार, डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों की सामग्री के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित आईटी नियम, 2021 के भाग-III में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत मध्यस्थ प्लेटफार्मों को उनके प्लेटफॉर्मों पर मौजूद गैर-कानूनी सामग्री के बारे में उपयुक्त सरकार द्वारा शीघ्र हटाने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर सामग्री के लिए उपयुक्त सरकार होने के नाते, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न मध्यस्थों के समन्वय से कार्रवाई की है, और अश्लील, अशिष्ट और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित करने के लिए इन प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 14 मार्च 2024 को 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक किया है।

*****